

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH





सा॰/No.: 5-1(70)/2009-PD

26.04.2022 Dated

प्रेषक :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From:

Joint Secretary (Admn.)

सेवा भें :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To

The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hgrs./Units.

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भते की

01 01 2022 से देय संशोधित दरें।

Sub: Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 5th Central Pay Commission from 01.01.2022.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 07.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/3(2)/2008-ई.।।(बी) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश ह्आ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 07.04.2022 on the subject mentioned above for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)

अन्.अधि.(नीति प्रभाग)/ Section Officer (PD)

संलग्न/Encl.: यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- प्रमुख, आई.टी. प्रभाग, इस अन्रोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर. वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराएं / Head, IT Division, with the request to make this circular letter available on the CSIR website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Website: http://www.csir.res.in

Fax: 91-11-23714788

सं. 1/3(2)/2008-ई.।।(बी)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 7 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.01.2022 से देय संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 01 नवंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-ई.॥(बी) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वे कर्मचारी जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं, को देय महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01.01.2022 से मूल वेतन के 368% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 381% कर दी जाएगी।

- 2. इन आदेशों के तहत महंगाई भते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 03 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।
- 3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान लागू हैं।

(निर्मला देव)

निमला देव

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)। No. 1/3(2)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi Dated the 7th April, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 5th Central Pay Commission from 01.01.2022

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(2)/2008-E.II(B) dated 1st November, 2021 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who are continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 5th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing 368% to 381% w.e.f. 01.01.2022.

- 2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(13)/97-E.II(B) dated 3rd October, 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
- 3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev) Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).